(b) if so, the reasons for not raising the limit against the yearly profit earned by the Super Bazar;

(c) by when the limit is likely to be raised as was done in the case of Kendriya Bhandar and other Consumer Cooperative Societies;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) the present ratio and limit of bouns for every employee of Super Bazar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) The limit of salary or wages for the purpose of grant of bonus is laid down in the payment of Bonus Act, 1965. Super Bazar has reported that there is no proposal of raising the said limit for the employees of Super Bazar.

(c) to (e) Kendriya Bhandar has reported that they have not raised the limit of salary for the purpose of bonus to its employees. Bonus is being paid to the employees of Super Bazar in accordance with the provisions of Bonus Act, 1965.

Appointment of OBCs in Super Bazar

3442. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the steps taken for implementing Government's decision to make appointments in Super Bazar for allocation of 27 per cent posts for OBCs including the posts of Supervisor and Sales Assistants;

(b) the number of persons appointed in the year 1993, categorywise, male and female candidates separately;

(c) the number of beneficiaries as a result thereof and the number of candidates on the waiting list as on date; and

(d) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) There is no such proposal under consideration of the Management of Super Bazar.

(b) to (d) Do not arise.

सुपर बाजार द्वारा वस्तुओं की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित करना

3443. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुपर बाजार ने गत तीन वर्षों के दौरान भंडारण हेतु वस्तुओं की खरीद के लिए स्थानीय समाचार-पत्रों में वर्ष-वार कितनी निविदाएं प्रकाशित करवाई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ये निविदाएं कौन-कौन से समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी; तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी राशि व्यय हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि सुपर बाजार की प्रबंध समिति के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंधियों को अवैध रूप से ठेके दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में सुपर बाजार की प्रबंध-समिति और महाप्रबंधक के विरुद्ध क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) सुपर बाजार द्वारा उक्त अवधि के दौरान निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही वर्ष-वार सुपर बाजार के कर्मचारियों के कितने संबंधियों को लाभ पहुंचाया गया है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार द्वारा माल की खरीद के लिए स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित कराई गई निविदाओं की वर्षवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिए)**

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।